कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) अथवा उन विशिष्ट कारपोरेशनों को अधिशासित करने वाली सांविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों और निगमों के लेखाओं तथा अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किए गए हैं।

2. इस प्रतिवेदन में 7 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 18 पीएसयूज़ से संबंधित 37 पृथक आपत्तियां शामिल हैं। आपत्तियों के प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में पीएसयू काम कर रहे हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रत्येक मामले में उनका उत्तर/ टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए भेजे गए थे। इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने तक 27 आपत्तियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इससे पूर्व, आपत्तियों के प्रारूप संबंधित पीएसयूज़ के प्रबंधन को भेजे गए थे, जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन में उपर्युक्त रूप से समाविष्ट किए गए हैं।

3. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत पीएसयूज़ से संबंधित है:

मंत्रालय/विभाग (शामिल पीएसयूज़ की संख्या)	**पैराग्राफों की संख्या**	**उन पैराग्राफों/विषयक अध्ययनों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।**
1. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम (बीएचईएल,सीसीआईएल, एचपीसीएल और एसएसएल)	8	6
2. खान (एचसीएल)	2	2
3. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (आईओसीएल, ओआईएल, ओएनजीसी और ओपीएएल)	13	11

4. विद्युत (डीवीसी, पीजीसीआईएल और आरईसी)	5	2
5. इस्पात (सेल)	6	3
6. कपड़ा (एनटीसी)	1	1
7 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन (एनपीसीसीएल)	1	1
8. सीसीएसईज द्वारा हकदारियों के भुगतान में अनियमितताएं (बीपीसीएल, जीएआईएल और ईआईएल)	1	1
जोड़	**37**	**27**

4. लेखापरीक्षा आपत्तियों कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,854.78 करोड़ हैं।

5. इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियां मौटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की है:

- ❖ नियमों, निदेशों प्रक्रियाओं, ठेका की निबंधन एवं शर्तों आदि का अननुपालन जिनमें 12 पैराओं में ₹ 1,150.76 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना जिनमें 13 पैराओं में ₹ 653.47 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन जिनमें सात पैराओं में ₹ 997.29 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग जिनमे एक पैरा में ₹ 5.82 लाख शामिल है।
- ❖ उद्देश्यों की प्राप्ती न होना/आंशिक रूप से प्राप्त होना जिसमें चार पैराओं में ₹ 47.44 करोड़ की राशि शामिल है।

6. प्रतिवेदन में 4 पीएसयूज द्वारा की गई ₹ 27.59 करोड़ की वसूलियों से संबंधत एक पैरा तथा लेखापरीक्षा के कहने पर तीन पीएएयूज द्वारा किए गए संशोधन संबंधित एक अन्य पैरा भी शामिल है।

II इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण पैरों की मुख्य बातें निम्नवत है:

1984 में शुरू किया गया वाटर इंजेक्शन प्लेटफार्म (डब्ल्यूआईएन) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के मुम्बई हाई नोर्थ फील्ड में मुख्य वाटर हब है। डब्ल्यूआईएन पुनर्निर्माण परियोजना के इसकी सहायक पाइपलाइनों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के साथ संकालन ना करने और मुख्य इन्जेक्शन पम्पों की मरम्मत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 726.50 करोड़ व्यय करने के बाद भी डिजाइन की गई वाटर इंजेक्शन क्षमता को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

(पैरा 3.8)

ओएनजीसी (कम्पनी) ने गहरे पानी और छिछला पानी के तेल एवं गैस वाले क्षेत्रों के विकास के भाग के रूप में इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य के लिए नवम्बर 2004 में ठेका दिया था और बाद में (जून 2007) ठेकेदार द्वारा कार्य में विलम्ब के कारण ठेका को समाप्त कर दिया और ठेकेदार द्वारा दी गई निष्पादन बैंक प्रतिभूति (पीबीजी) के नकदीकरण हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी थी। ठेकेदार ठेके को समाप्त करने और पीबीजी पर दावा करने के मामले को विवाचन हेतु ले गया (जून 2007)। कम्पनी ने भी अन्य बातों के साथ-साथ ठेकेदार के पास शेष बचे उपस्कर एवं सामग्री के संरक्षण को प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय मुम्बई में याचिका दायर की थी। कम्पनी ने पूर्ण परिश्रम किए बिना चूककर्ता ठेकेदार के साथ समझौता करार किया जिससे करार के कार्यान्वयन में यूएसडी 66.34 मिलियन (₹ 342.34 करोड़) का अतिरिक्त व्यय करने के अलावा विवादों के 'न्यायालय से बाहर' समाधान के माध्यम से ठेकेदार को यूएसडी 32 मिलियन (₹ 149.37 करोड़) की समझौता राशि के भुगतान के समय इसने केवल यूएसडी 0.7 मिलियन की छूट प्राप्त की थी जोकि अक्तूबर 2008 में इसके बार्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के उल्लंघन में थी। यह व्यय (₹ 342.34 करोड़) अनियमित था क्योंकि इसे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं था और यह कम्पनी के वित्तीय हितों में नहीं था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने औजारों के किराए के भुगतान पर यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) का परिहार्य व्यय किया था जिसे पहले ही समाप्त किए गए ठेका के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा पूरा किए गए कार्य के लिए भुगतान की गई राशि में शामिल किया गया था। तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास की परियोजना अप्रैल 2010 की संशोधित लक्ष्य तारीख के प्रति पूरी नहीं हो सकी (जनवरी 2015) जबकि प्रतिवर्ष ₹ 1,500 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व अनुदग्रहीत रहे।

(पैरा 3.6)

वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित किए बिना नेशनल टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने इस तथ्य की अवहेलना करते हुए पूर्व मालिक के साथ भूमि सहभाजन के लिए समझौता करार किया कि यह महत्वपूर्ण पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 205.01 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 6.1)

ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड (कम्पनी) ने तीन ठेकेदार के साथ त्रुटिपूर्ण ठेके किए और मार्च 2009 से नवम्बर 2011 के दौरान समय आधारित तरीके से वसूली करने की बजाय सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ब्याज मुक्त अग्रिमों को विस्तारित किया गया इन अग्रिमों की वूसली को संबंधित परियोजना की प्रगति से जोड़ा और इस प्रकार अगस्त 2012 से अक्तूबर 2014 तक ₹ 49.63 करोड़ की ब्याज हानि हुई। इसके अलावा, कम्पनी को ब्याज हानि भुगतते हुए अक्तूबर 2014 तक ठेकेदार से ₹ 144.20 करोड़ के अग्रिमों की वसूली करनी थी।

(पैरा 3.13)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की ₹ 778.82 करोड़ के कुल निवेश के साथ 31 मार्च 2014 तक 23 संयुक्त उद्यम कम्पनियां (जेवीसीज) थी। केवल सात पूर्ण रूप से प्रचालित थी जिनमे से केवल तीन लाभ प्राप्त कर रही थी। चार जेवीसी समाप्त की जा रही थी। सेल ने जेपी सीमेंट लिमिटेड (जेसीएल) के साथ दो जेवीसीज, एक भिलाई मे और दूसरी बोकारों में, का गठन किया था जो सीमेंट बनाने के लिए सेल के इस्पात संयंत्र मे उत्पादित उप-उत्पाद स्लौग का उपयोग कर रहे थे। यह पाया गया कि एक करार के अंतर्गत सेल बाजार कीमत से काफी कम कीमतों पर जेवी को स्लैंग की आपूर्ति कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप सेल को 2013-14 तक ₹ 156.58 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 5.1)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने दिसम्बर 2014 तक ₹ 153.36 करोड़ की हानि वहन की क्योंकि इसने सुलभ ऋणों जो इसने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीआई) के अंतर्गत दिए थे पर ब्याज अंतर की प्रतिपूर्ति के लिए विद्युत मंत्रालय को नहीं कहा।

(पैरा 4.5)

आधुनिक मीटरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए दामोदार वैली कार्पोरेशन (कार्पोरेशन) द्वारा किए गए ₹ 6.38 करोड़ का निवेश अनुत्पादक और अप्रभावी रहा जिसके

परिणामस्वरूप उद्देश्य पूरे नहीं हुए। निगम ने सीईआरसी द्वारा निर्धारित की गई टैरिफ याचिका की समय सीमा का पालन नहीं किया जो उपभोक्ताओं से देय पर्याप्त बकाया के संग्रहण के लिए कारणों में से एक या निगम ने विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनुमत किए गए अपने उपभोक्ताओं से वियोजन और पून: योजन प्रभारों (₹ 4.33 करोड़) को एकत्र नहीं किया और उन अधिकतर एलटी उपभोक्ताओं के परिसरों मे मीटर भी नहीं लगाए जिन्होंने विद्युत की वास्तविक खपत को सुनिश्चित करने से निगम को रोका था और इसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2013-14 के दौरान विद्युत प्रभारों के प्रति ₹ 142.72 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(पैरा 4.1)

ऑयल इंडिया लिमिटेड निर्धारित समय में कच्चा तेल आपूर्तियों में मूल तलछट एवं जल तत्व को नियंत्रित करने के लिए समय पर सुविधाए देने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 105.55 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(पैरा 3.5)

सेल द्वारा प्रचालित पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों मे 33 कोक ओवन बैटरिज (सीओबीज) है। सीओबीज कोयले को कोक मे बदलती है जोकि गर्म धातु के उत्पादन हेतु बलास्ट फर्नेस में उपयोग किया जाने वाले मुख्य ईंधन है।

यह देखा गया कि सीओबीज की मरम्मतों एंव रख-रखाव में विलम्बों के कारण उनका निष्पादन सेल द्वारा निर्धारित मानदंडों से काफी कम था। 2009-14 की अवधि के दौरान कोक के उत्पादन में कमी 3.320 एमटी तक थी। इसी प्रकार, कोक ओवन गैस की उपलब्धता में कमी थी, जोकि सीओबीज में कोयले के कार्बनाइजेशन के दौरान उप-उत्पाद के रूप में सृजित होती है, इसके परिणामस्वरूप 2009-13 के दौरान बिक्री योग्य इस्पात के 2.430 एमटी की उत्पादन हानि और ₹ 202.85 करोड़ की लागत पर फर्नेस ऑयल की अतिरिक्त खरीद हुई। यह भी देखा गया कि यहां तक कि जहां मरम्मत एवं नवीकरण किया गया था वहां भी सीओबीज का निष्पादन प्रत्याभूत निष्पादन मापदंडों से कम था।

(पैरा 5.2)

ओएनजीसी लिमिटेड के सामग्री प्रबंधन मॉडयूल के कार्यान्वयन की अनुवर्ती आईटी लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- डाटा की सटीकता और समय पर प्रगृहण को सुनिश्चित करने के लिए इनपुट नियंत्रणों, वैद्यीकरण जांचों एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की अपर्याप्तताएं थी। इसके परिणामस्वरूप, डाटा शुद्धता में कमी और गलत एमआईएस हुआ।

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों एवं उपयोक्ता की जागरूकता की कमी के परिणामस्वरूप स्टॉक निर्गम हुए, प्राप्तियां एवं खपत को समय पर प्रग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण गलत सामग्री लेखाकरण हुआ।
- परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन से संबंधित डाटा के सटीक एवं समय पर प्रग्रहण तथा कारबार प्रक्रिया के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इनपुट नियंत्रण,वैद्यीकरण जांच और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया त्रुटिपुर्ण थी। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों, स्टोर्स एवं स्पेयर का अपूर्ण प्रत्यक्ष सत्यापन, गलत एमआईएस और डाटा समरूपता का अभाव हुआ।
- सामग्री आवश्यकता योजना व्यक्तिपरक बनी रही क्योंकि इसे इआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद भी हस्त्यरूप से किया जा रहा था।

(पैरा 3.7)

हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की लागत के प्रति ₹ 13.22 करोड़ निवेश करने के बाद ओरेकल ई-बिजनस सूट आर12 इआरपी प्रणाली कार्यान्वित की थी। तथापि, यह देखा गया कि आईटी प्रणाली ने आईटी नीतियों एवं लोजिकल एक्सेस नियंत्रण को दस्तावेजीकृत नहीं किया। मास्टर डाटा की गुणवत्ता भी खराब पाई गई थी। हमने वित्तीय अभिलेखों में मानवीय हस्तक्षेप की अपेक्षा रखने वाली अचल सम्पत्तियों के मूल्यह्रास की प्रयोज्यता पर प्रणाली में कमियां और भुगतान मॉडयूल के कार्यान्वयन में विलम्ब देखें।

(पैरा 2.1)

सेवानिवृति पर 300 दिनों से अधिक एचपीएल के साथ बीमारी अवकाश या अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु अवकाश नियामवली/नीति डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी और इसके परिणामस्वरूप 4सीपीएसईस के संबंध में अप्रैल 2006 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 157.91 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अलावा, दो सीपीएसईज (आईओसीएल एवं गेल) ने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य निधि के आधार पर ₹ 12.15 करोड़ का अनियमित योगदान दिया। इसके अलावा, गेल ने मार्च 2008 से पूर्व भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण पर ₹ 14.94 करोड़ के कर्मचारी के योगदान हिस्से का समायोजन नहीं किया था।

(पैरा 8.1)